न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 166/2019 **दायरा दिनांकः 11.12.2019**

उनवान

हेमन्त नागर, आयु 28 वर्ष, पुत्र त्रिभुवनपाल नागर, जाति धाकड़, निवासी टांची, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. नटीबाई पुत्री घनश्याम पत्नी मुकुटबिहारी, जाति धाकड़, निवासी जलवाडा हाल निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
2. हेमराज पुत्र घनश्याम, जाति धाकड, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
3. मनोज पुत्र घनश्याम, जाति धाकड, निवासी जलवाडा हाल निवासी किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
4. निर्मलाबाई पुत्री घनश्याम पत्नी जमनालाल, जाति धाकड़, निवासी जलवाडा हाल नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ओ पी मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री राधावल्लभ नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 71/2019 निर्णय दिनांक 02.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु ग्राम किशनगंज की आराजी खसरा नम्बर 569 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 570 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 580 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1670/846 रकबा 2 बिस्वा कुल 4 किता रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी कम 1 का 1/4 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जवाबदावा प्राप्त किये एवं बिना विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों का निर्वाह किये गलत रूप से वाद निरस्त किया है जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उसे अपने जवाबदावे में उठाया जाना चाहिए था तथा अधीनस्थ न्यायालय को उस पर विधि सम्मत कानूनी तनकी कायम कर उस पर साक्ष्य ली जाकर पहले निर्धारित किया जाना चाहिए था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों की पालना न कर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 का फैसला कर दावा खारिज कर दिया जबकि बिना जवाबदावा प्राप्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज (राज.)

किये आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता । यदि एडोप्सन सेल डीड वसीयत है तो रेवेन्यु कोर्ट ही तय करेगी । अतः अपील स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1996 पेज 419, आर आर सी 2000 पेज 127 एवं आर आर डी 2001 पेज 415 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नट्टी बाई अपना हक त्याग कर चुकी है जिसके बाबत दावा सिविल कोर्ट में चल रहा है। अपीलांट ने नट्टी बाई के नाम फर्जी दस्तावेज बना लिया, बेचाननामा के आधार पर वह खातेदार बनना चाहता है, जो गलत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अद्योपान्त विवेचनानुसार प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. सपठित धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार योग्य माना है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा